चुनाव आयोग भी मानता है ईवीएम को स्वतंत्र मतदान में बाधा

गरीब और वंचित वर्ग का मतदाता यह सच्चाई ना सिर्फ जानता है, बल्कि वर्षों से उसकी कीमत भी चुकाता आ रहा है। किस समुदाय ने किस को वोट दिया, यह जानकारी सिर्फ उमीदवार तक ही सीमित नहीं रहती

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

गरीब और वंचित वर्ग का मतदाता यह सच्चाई ना सिर्फ जानता है, बल्कि वर्षों से उसकी कीमत भी चुकाता आ रहा है। किस समुदाय ने किस को वोट दिया, यह जानकारी सिर्फ उमीदवार तक ही सीमित नहीं रहती। चुनाव के बाद धर्म, जाति, समुदाय, क्षेत्र के अनुसार मतदाताओं के मतों की चीर-फाड़कर दुनिया को बताने का एक बड़ा धंधा मीडिया में भी होता है ताकि पता चल सके कि किसने, किसे वोट दिया है। खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो एक तरफ, धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करने वाले नेताओं और राजनीतिक पार्टियों को आड़े हाथों लेता है, दूसरी तरफ, वह खुद उसी काम को गला फाड़-फाड़ कर करता है।

निर्वतमान केंद्र सरकार में मंत्री मेनका गांधी ने अपने संसदीय चुनाव क्षेत्र में पहले मुस्लिम और फिर सर्व-सामान्य मतदाताओं को यह ताकीद करते हुए एक मार्के की बात की है कि उन्हें जहां से जितने वोट मिलेंगे, उसी के अनुसार काम होगा। चुनाव आयोग द्वारा इस टिप्पणी पर 48 घंटों के लिए मेनका को चुनाव प्रचार से रोकने का दंड भी दिया गया, लेकिन इससे बड़ा सवाल यह खड़ा हुआ कि क्या संविधान-प्रदत्त गुप्त मतदान मात्र एक छलावा है? मेनका गांधी ने एक गांव के मतदाताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि चुनाव में जिस गांव से उन्हें जितने वोट मिलते हैं, उसके अनुसार वे उसे डी से लेकर सीयू तक की श्रेणियों में रखती हैं। जहाँ से 80 प्रतिशत वोट मिलते हैं, वो डी में आते हैं और उनके काम सबसे पहले होते हैं जहाँ 60 प्रतिशत वोट मिलते हैं, वो एई में आते हैं, और डी श्रेणी के गांवों के काम के बाद उनका नम्बर आता है। इसी तरह जहां 50 प्रतिशत वोट मिलते हैं, वो जेड श्रेणी में और 30 प्रतिशत वाले सीयूश्रेणी में आते हैं और उनके काम भी उसी के मुताबिक होते हैं।

कमाल यह है कि मेनका गांधी द्वारा अनजाने में उजागर की गई गुप्त की बजाए घोषित मतदान की इस बात को चुनाव आयोग भी मानता है। उसने 2008 में ही ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) से मतों के बूथवार परिणाम के तरीके को स्वतंत्र, निर्भीक मतदान में बड़ी बाधा बताया था। यह बात 'लॉ कमीशन ने मार्च 2015 में चुनाव सुधार पर केंद्र सरकार को सौंपी अपनी रपट में भी रेखांकित की थी। उन्होंने लिखा था कि 21 नवम्बर 2008 को चुनाव आयोग ने सचिव, कानून एवं विधि मंत्रालय को पत्र लिखकर यह मांग की थी कि चुनाव में ईवीएम के मतों की गिनती टोटेलाईजर से की जा सके, इसके लिए चुनाव नियमों में जरुरी बदलाव किए जाएं। टोटेलाइजर 14-14 ईवीएम मशीनों को जोड़कर की जाने वाली गणना की पद्धति होती है। यह रिपोर्ट आगे कहती है -चुनाव आयोग के इस सुझाव के पीछे सबसे बड़ा तर्क यह था कि वोटों की गिनती के वर्तमान तरीके में हर बूथ के अनुसार परिणाम मालूम पड़ते हैं, जिसके चलते उस क्षेत्र के मतदाता के उत्पीड़न, धमकी और चुनाव के बाद प्रताड़ना की संभावना रहती है। इसका मतलब साफ है, जब तक ईवीएम से वोटों की गिनती का तरीका नहीं बदला जाता, तब तक स्वतंत्र मतदान सुनिश्चित नहीं हो सकता।

गरीब और वंचित वर्ग का मतदाता यह सच्चाई ना सिर्फ जानता है, बल्कि वर्षों से उसकी कीमत भी चुकाता आ रहा है। किस समुदाय ने किस को वोट दिया, यह जानकारी सिर्फ उमीदवार तक ही सीमित नहीं रहती। चुनाव के बाद धर्म, जाति, समुदाय, क्षेत्र के अनुसार मतदाताओं के मतों की चीर-फाड़कर दुनिया को बताने का एक बड़ा धंधा मीडिया में भी होता है ताकि पता चल सके कि किसने, किसे वोट दिया है। खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो एक तरफ, धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करने वाले नेताओं और राजनीतिक पार्टियों को आड़े हाथों लेता है, दूसरी तरफ, वह खुद उसी काम को गला फाड़-फाड़ कर करता है। अपने नामी विशेषज्ञों के हवाले से मीडिया इस बात का विज्ञापन भी करता है कि उसका चुनाव परिणामों का आंकलन सटीक होगा। यानि कल तक जो जानकारी आमतौर पर राजनीतिक पार्टियों तक सीमित रहती थी उसे मीडिया ना सिर्फ आम लोगों के बीच लेकर जाता है, बल्कि उसके कारणों पर बहस करवाकर उसे और पुष्ट करता है।

जब हमारे देश में गुप्त मतदान है तो मेनका गांधी जैसे नेताओं को कैसे मालूम पड़ता है कि किस समुदाय, जाति और गांव के लोगों ने किसको वोट दिया है? चुनाव आयोग मतों की गिनती करते समय हर बूथ से जुडी ईवीएम मशीन से प्राप्त मतों की अंतिम संख्या को फॉर्म-20 में दर्ज करता है और फिर उसे जोडकर पूरे चुनाव क्षेत्र में किस उम्मीदवार को कितने मत मिले, यह निकालता है। चुनाव आयोग की वेब साईट से किसी भी विधानसभा या लोकसभा के पिछले चुनावों के भी फॉर्म-20 को देखा जा सकता है।

एक बूथ में आमतौर पर 1000 वोट होते हैं। अगर गांव बड़ा है, तो उसमें एक से ज्यादा बूथ होंगे। इनमें से हर बूथ पर 200 से 700 तक मतदाता अपने मत का प्रयोग करते हैं। अब दो बातें हैं-पहली, हमारे देश के गांवों, कस्बों, यहां तक कि शहरों में जाति, धर्म, समुदाय के लिहाज से लोग अलग-अलग बस्तियों में बसे होते हैं। कई तो गांव-के-गांव ही एक जाति या समुदाय के होते हैं। दूसरी, गांव में अगर कई जाति के लोग हुए तो प्रभावशाली जाति के लोग तो खुले आम अपनी पसंद की पार्टी का काम करते हैं इसलिए उन्हें गिना जा सकता है। ऐसे में जब फॉर्म-20 में चुनाव परिणाम देखते हैं तो गाँव में शेष बचे वोट के आधार पर निचली जाति के लोगों की वोट का अंदाजा लगा लिया जाता है। यह भी समझ आ जाता है कि अमुक गाँव किस पार्टी के साथ था, किसके नहीं। कई बार लोग ही कहते हैं कि कौन-सा कांग्रेस का गांव है, और कौन-सा भाजपा या किसी अन्य पार्टी का।

सवाल यह है कि किस गांव, मोहल्ले, जाति, समुदाय ने किसको वोट दिया है, यह उजागर ना हो इसके लिए क्या किया जाए? जब मतदान मतपत्रों के जरिए होता था, तब इस बात से निपटने के लिए 1993 में चुनाव प्रक्रिया नियम (निर्वाचन का संचालन अधिनियम, 1961) में धारा 59 (क) जोड़ी गई थी। इस धारा के अनुसार, किसी खास चुनाव क्षेत्र में अगर मतदाताओं को प्रताड़ना की शंका हो, तो उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरे क्षेत्र के सभी बूथों की मतपेटियों के मतपत्रों को एक साथ मिलाकर उनकी गिनती की जाए। ईवीएम से मतदान की प्रक्रिया शुरू होने के बाद मतदाताओं के लिए इस तरह की कोई भी सुरक्षा नहीं बची है। ईवीएम में मतों की गिनती के संचालन के लिए 1992 में चुनाव प्रक्रिया नियम (निर्वाचन का संचालन अधिनियम, 1961) में धारा 66 (क) जोड़ी गई थी। इसी के नियम 56 (2) (ग) के अनुसार वोटों की बूथवार गिनती कर उन्हें फॉर्म-20 में दर्ज किया जाता है।

चुनाव के अपने लम्बे अनुभव के बाद, इस मुद्दे को लेकर हमने वर्ष 2013 में चुनाव आयोग को ई-मेल के जरिए एक पत्र लिखा था। जबाव में आयोग ने बताया था कि इस मुद्दे पर वह (आयोग) पहले से ही काम कर रहा है। उन्होंने भारत सरकार को 14 ईवीएम के वोटों की एक साथ गिनती करने के लिए टोटेलाईजर का उपयोग करने हेतु चुनाव संचालन अधिनियम में जरुरी बदलाव के लिए लिखा था। इन दिनों इसी मुद्दे पर दो जनहित याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में विचारार्थ लगी हैं। पहली, वकील योगेश गुप्ता द्वारा दायर की गई है और दूसरी, दिल्ली के भाजपा नेता अश्विन कुमार उपाध्याय द्वारा। जनवरी 12, 2018 को इन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की ओर से उसके वकील ने कहा था कि मत की गुप्तता, व्यक्ति की निजता और क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों के अधिकारों को खतरे में नहीं डालना चाहिए और ऐसी परिस्थिति को टालना चाहिए जहां लोगों ने किसे अपना वोट दिया है, इस आधार पर उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव एवं पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यवहार हो।

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

चिंतन

आयुष्मान भारत का मूल उद्देश्य गरीबों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराना है, योजना में चुनौतियां भी हैं

इस पर आश्चर्य नहीं कि एक अमेरिकी थिंक टैंक ने भी मोदी सरकार की आयुष्मान भारत योजना को तारीफ के काबिल पाया। इसके पहले अन्य देशी-विदेशी संस्थाएं भी इस योजना को बेहतर बता चुकी हैं। चूंकि निर्धन वर्ग के परिवारों को पांच लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देने वाली यह योजना गरीबों के लिए राहतकारी साबित हो रही है इसलिए उसका बखान कर चुनावी लाभ लेने की भी कोशिश हो रही है। इसमें हर्ज नहीं। सरकारों का यह अधिकार है कि वे अपनी सफल योजनाओं का गुणगान करते हुए राजनीतिक लाभ अर्जित करने की कोशिश करें।

इस योजना की लोकप्रियता इससे साबित होती है कि बहुत कम समय में लाखों लोग इसका लाभ उठा चुके हैं। इस योजना के सकारात्मक असर से इन्कार नहीं, लेकिन इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि क्या फिलहाल कारगर साबित होती दिख रही यह योजना देश में आवश्यक स्वास्थ्य ढांचे का निर्माण करने में सफल हो रही है? निस्संदेह यह इस योजना का मूल उद्देश्य नहीं है। मूल उद्देश्य गरीबों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराना है, लेकिन केवल इतने से बात बनने वाली नहीं है। किसी को यह देखना चाहिए कि जरूरी स्वास्थ्य ढांचे का भी निर्माण हो। यह सुनिश्चित करते समय इस पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है कि निजी क्षेत्र के साथ सरकारी स्वास्थ्य ढांचे का निर्माण और विस्तार होना बहुत आवश्यक है। यह इसलिए आवश्यक है, क्योंकि इतने बड़े देश में सरकारी स्वास्थ्य ढांचे को बेहतर बनाए बिना अभीष्ट की प्राप्ति नहीं की जा सकती।

यह सही है कि फिलहाल गरीबों को मुफ्त उपचार की सुविधा मिल रही है, लेकिन अगर स्वास्थ्य ढांचे को विस्तार नहीं दिया जा सका तो गरीबी रेखा से इतर लोगों के लिए उपचार महंगा हो सकता है।

इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य पर खर्च किए जाने वाले धन का अधिकांश हिस्सा इस योजना में ही खप जाने का भी अंदेशा है। यह अंदेशा इसलिए और है, क्योंकि अभी कुल जीडीपी का बहुत कम प्रतिशत स्वास्थ्य पर खर्च होता है। इस खर्च को बढ़ाए जाने और उसका एक हिस्सा सरकारी स्वास्थ्य ढांचे को विकसित करने में किया जाना चाहिए। यह काम प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि भारत की छवि एक ऐसे देश की है जो तमाम रोगों का घर बना हुआ है। इसका प्रमुख कारण यह है कि एक ओर जहां गरीब तबका कुपोषण से ग्रस्त है वहीं मध्य और धनी वर्ग रहन-सहन की उन आदतों से ग्रस्त है जो बीमारियों का कारण बनती हैं।

स्पष्ट है कि किसी को इसकी भी चिंता करनी चाहिए कि औसत भारतीय अपने खान-पान, रहन-सहन को लेकर सतर्क रहें। मोदी सरकार को केवल इससे खुश नहीं होना चाहिए कि अमेरिकी थिंक टैंक ने आयुष्मान योजना की तारीफ कर दी, क्योंकि उसने इस योजना की कुछ चुनौतियां भी रेखांकित की हैं।